मु0नं0 08/2025

उनवान श्रीफल बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

मु.नं.:— 08/2025

तारीख रजू :— 07.04.2025

पीठासीन अधिकारी :— पूजा मीना आर.ए.एस.

श्रीफल पुत्र नारायण जाति बैरवा निवासी चूरपुरा तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

वादी

वनाम

1. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली (राज0)
2. तहसीलदार टोडाभीम, तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती हाल राजस्व रिकार्ड

उपस्थित :— 1 श्री नन्दराम बैरवा एडवोकेट वादी

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांक:— 08.10.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 119 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 106 रकवा 1.20 है0 स्थिति ग्राम चूरपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली है जिसमें वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के सहखातेदार काश्तकार है। तहसील कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से वादी श्रीफल पुत्र नारायण के स्थान पर श्री लाल पुत्र नारायण दर्ज कर दिया है जो गलत इन्द्राज है। वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड, आयुष्मान कार्ड में श्रीफल पुत्र नारायण दर्ज है जो पूरी तरह से सही एवं सत्य है।

दिनांक 01.04.2025 को वादी ने बैंक से ऋण लेने हेतु जमाबन्दी निकलवाई तथा हल्का पटवारी के पास ऋण हेतु पत्रावली बनवाने गया

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

तब जाकर वादी को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। वादी उसी दिन दिनांक 01.04.2025 को तहसील टोडाभीम में गया और तहसीलदार टोडाभीम से राजस्व रिकार्ड में हुई उक्त गलती को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार जी टोडाभीम ने राजस्व रिकार्ड में हुये उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया और वादी से न्यायालय में कार्यवाही करने को कहा जिस कारण यह दावा श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त वाद में राजस्व सरकार आवश्यक पक्षकार है। राज्य सरकार के विरूद्ध मुकदमे पेश करने से पूर्व 60 दिवस का कानूनी नोटिस दिया जाना अनिवार्य है लेकिन दावा हाजा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण राज्य सरकार को नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। वाद पत्र के साथ प्रथक से अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। दावा वादी इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम चूरपुरा में स्थिति आराजीयात वर्णित खाता संख्या 119 में वर्णित खरा नम्बर 106 रकवा 1.20 है0 में श्री लाल पुत्र नारायण को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर श्रीफल पुत्र नारायण दर्ज किया जावे एवं इसी अनुरूप समस्त राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी में अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया है प्रतिवादीगण सरकार पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि ग्राम चूरपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 119 पर खसरा नम्बर 106 रकवा 1.20 है0 गीता पत्नि पप्पू छोटी पत्नि रामकृष्ण , लीला देवी पत्नि श्रीफल, श्रीलाल पुत्र नारायण जाति बैरवा के नाम रिकार्ड दर्ज है। ग्राम चूरपुरा के नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 30.09.1986 के द्वारा हुकमा पुत्र छीतर की विरासत से श्रीलाल देवीराम जगदीश प्रहलाद पिता नारायण हि0 1/2 हरपाल पुत्र हुकमा हि0 1/2 के नाम रिकार्ड दर्ज हुआ। ग्राम चूरपुरा के उक्त आराजी खसरा नम्बर में नामान्तकरण संख्या 28 दिनांक 28.07.1999 के द्वारा हरपाल पुत्र हुकमा हि0 1/2 लाऔलाद फौत होने पर श्रीफल देवीराम जगदीश प्रहलाद पिता नारायण हिस्सा 1/2 रिकार्ड दर्ज हुआ। मुताबिक दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि श्रीलाल एवं श्रीफल एक ही व्यक्ति है श्रीलाल गांव का बोलता नाम है जबकि दस्तावेजों में श्रीफल पुत्र नारायण दर्ज है। अतः वादी का नाम श्रीफल पुत्र नारायण अंकित किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मैने वकील वादी एवं सरकार पैरोकार की बहस सुनी अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का नाम श्रीफल है लेकिन रेवेन्यू रिकोर्ड श्रीलाल हो गया है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजो मे मेरा नाम श्रीफल है मैने दस्तावेजो मे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि के दस्तावेज पेश किये पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी में वादी का नाम श्रीलाल है जो विरासत के नामान्तकरण के द्वारा आयी है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। जमावंदी ग्राम चूरपुरा खाता संख्या 119 में वर्णित खसरा नम्बर 106 रकवा 1.20 है0 तहसील टोडाभीम में वादी का नाम श्रीलाल दर्ज है। विरासत के नामान्तकरण से श्रीफल के स्थान पर श्रीलाल दर्ज हो गया। उक्त दस्तावेजों तथा तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम चूरपुरा खाता संख्या 119 में वर्णित खसरा नम्बर 106 रकवा 1.20 है0 तहसील टोडाभीम में वादी का नाम श्री लाल पुत्र नारायण को हजफ कर श्रीफल पुत्र नारायण अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी का जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय दिनांक 08.10.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली